INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS IN SOCIAL SCIENCES
Peer Review, Refereed, Biannual, Multiple Language (Hindi & English), Social Science Journal, Open Access Journal
ISSN: 3107-5096(ONLINE)
VOL. 2, ISSUE 2 (JUNE) 2026

डिजिटल युग में भारतीय नागरिकों की संज्ञानात्मक स्वायत्तता एवं आत्म-निर्णय का संवैधानिक अधिकार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

प्रियंका निर्वाण
शोधकर्ता, राजनीति विज्ञान विभाग
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

डॉ. ऊषा देवी वर्मा
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग,
वी.एम.एल.जी. कॉलेज, गाजियाबाद

Citation
निर्वाण, . प्रियंका ., & वर्मा, . ऊषा . देवी . (2026). डिजिटल युग में भारतीय नागरिकों की संज्ञानात्मक स्वायत्तता एवं आत्म-निर्णय का संवैधानिक अधिकार: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. In Innovative Research Thoughts in Social Sciences (Vol. 2, Number 2, pp. 163–170).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20807877

सारांश

यह लेख आज के डिजिटल परिवेश में मानव मस्तिष्क की स्वतंत्रता व स्वायत्तता पर मंडरा रहे खतरों का विश्लेषण करता है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल बाजार है, जहाँ डेटा-संचालित एल्गोरिदम नागरिकों की सोच और निर्णय लेने की क्षमता को सूक्ष्म रूप से प्रभावित कर रहे हैं। यह लेख 'निगरानी पूंजीवाद' के सिद्धांतों, 'फिल्टर बबल' के प्रभाव और 'एल्गोरिथम हेरफेर' के माध्यम से नागरिकों के आत्म-निर्णय के अधिकार के क्षरण की पड़ताल करता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से, यह के.एस. पुट्टास्वामी (2017) के निर्णय के आलोक में 'मानसिक निजता' (Mental Privacy) की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अंत में, यह शोध 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP), 2023' की सीमाओं की समीक्षा करते हुए 'एल्गोरिथम पारदर्शिता' और 'संज्ञानात्मक साक्षरता' जैसे ठोस समाधानों का प्रस्ताव देता है। यह शोध-पत्र मुख्यतः डॉक्ट्रिनल एवं नीति-विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है।

मुख्य शब्द: *संज्ञानात्मक स्वायत्तता (Cognitive Autonomy), डेटा संप्रभुता (Data Sovereignty), संज्ञानात्मक अधिकार (Cognitive Rights), आत्म-निर्णय (Self-determination), निगरानी पूंजीवाद (Surveillance Capitalism), एल्गोरिथम जवाबदेही (Algorithmic Accountability), मानसिक निजता (Mental Privacy), डिजिटल इंडिया (Digital India)*

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) के तीव्र विकास ने नागरिकता की पारंपरिक अवधारणा को एक नया आयाम प्रदान किया है। भारत में डिजिटल क्रांति, इंटरनेट की बढ़ती पहुँच, डिजिटल भुगतान प्रणालियों, ई-गवर्नेंस तथा सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग ने नागरिकों के जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। इस परिवर्तन ने नागरिकों की एक नई पहचान को जन्म दिया है, जिसे "डिजिटल नागरिकता" (Digital Citizenship) कहा जाता है। डिजिटल नागरिकता केवल तकनीक के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऑनलाइन माध्यमों का सुरक्षित, जिम्मेदार, नैतिक तथा कानूनी उपयोग भी सम्मिलित है।[1]

भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। डिजिटल युग में इन संवैधानिक अधिकारों का विस्तार ऑनलाइन क्षेत्र तक हो गया है।

21वीं सदी के तीसरे दशक में, भारत अभूतपूर्व डिजिटल परिवर्तन से गुजर रहा है। 'डिजिटल इंडिया' अभियान ने न केवल सरकारी प्रशासन और सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाया है, बल्कि भारतीय नागरिकों के सामाजिक और वैचारिक जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया है। हालाँकि, इस तकनीकी विकास के साथ-साथ एक गंभीर दार्शनिक और कानूनी प्रश्न भी सामने आया है: डिजिटल युग में नागरिकों की संज्ञानात्मक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के अधिकार को किस हद तक संरक्षित किया जाता है?

सैद्धांतिक ढांचा

संज्ञानात्मक स्वायत्तता का अर्थ व्यक्ति की वह क्षमता है जिससे वह बिना किसी बाहरी हेरफेर, दबाव या छिपे हुए प्रभाव के स्वतंत्र रूप से अपनी राय और विश्वास बना सके। परंपरागत रूप से, स्वायत्तता को शारीरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जाता था। परंतु, शोशाना ज़ुबॉफ़ (2019) के अनुसार, हम 'निगरानी पूंजीवाद' (Surveillance Capitalism) के युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ मानवीय अनुभव को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कच्चे माल (Raw Data) के रूप में उपयोग किया जाता है।[2]

भारतीय संदर्भ में, के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) के ऐतिहासिक निर्णय ने स्पष्ट किया कि निजता का अधिकार व्यक्ति की 'मानसिक अखंडता' और 'निर्णय लेने की स्वायत्तता' से अटूट रूप से जुड़ा है। जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'फिल्टर बबल' और 'इको चेम्बर्स' का निर्माण करते हैं, तो वे सूचना के उस स्वतंत्र प्रवाह को बाधित करते हैं जो एक स्वस्थ लोकतंत्र में निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। सनस्टीन (2017) के अनुसार, सोशल मीडिया आधारित डिजिटल पारिस्थितिकी ऐसे "सूचनात्मक पिंजरों" (Information Cocoons) का निर्माण करती है, जिनमें नागरिक मुख्यतः उन्हीं विचारों और सूचनाओं के संपर्क में आते हैं जो उनकी पूर्वस्थापित मान्यताओं की पुष्टि करती हैं, परिणामस्वरूप लोकतांत्रिक विमर्श का दायरा संकुचित हो जाता है।[3]

शोध पद्धति

यह शोध-पत्र मुख्यतः डॉक्ट्रिनल एवं नीति-विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों के रूप में भारतीय संविधान के प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों के रूप में अकादमिक ग्रंथ, शोध-पत्र, तुलनात्मक कानूनी विश्लेषण यूरोपीय संघ सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (EU GDPR) एवं केस स्टडी का उपयोग

किया गया है। तुलनात्मक विधि के अंतर्गत भारतीय और यूरोपीय डेटा संरक्षण ढाँचों का विश्लेषण किया गया है।

डिजिटल आर्किटेक्चर और संज्ञानात्मक प्रभाव

डिजिटल युग में नागरिकों की वैचारिक स्वायत्तता को समझने के लिए उस तकनीकी संरचना का विश्लेषण आवश्यक है जिसके अंतर्गत मानव संज्ञानात्मक प्रक्रिया संचालित होती है। समकालीन डिजिटल प्लेटफॉर्म केवल सूचना के स्रोत नहीं हैं, बल्कि एक 'ध्यान अर्थव्यवस्था' (Attention Economy) हैं, जहाँ उपयोगकर्ता का ध्यान ही प्राथमिक लक्ष्य होता है।

- **एल्गोरिदम और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग:** सोशल मीडिया एल्गोरिदम सुदृढीकरण अधिगम के माध्यम से उपयोगकर्ता व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। हैरिसन (2021) के अनुसार, यह प्रक्रिया नागरिकों की निर्णय लेने की स्वायत्तता को सीमित करती है। पैरिसर (2011) इस प्रक्रिया को 'फिल्टर बबल' कहते हैं, जहाँ एल्गोरिदम उपयोगकर्ता की पूर्वधारणाओं को और सुदृढ़ करता है।[4]
- **ईको चेम्बर और वैचारिक अवरोध:** जब एल्गोरिदम चयनात्मक डेटा प्रदान करते हैं, तो नागरिक एक 'ईको चेम्बर' में फँस जाते हैं। पैरिसर (2011) का तर्क है कि यह डिजिटल संरचना आलोचनात्मक चिंतन को दबा देती है। भारत जैसे विविध समाज में, यह न केवल व्यक्तिगत स्वायत्तता को कमजोर करता है बल्कि सामाजिक ध्रुवीकरण को भी जन्म देता है।
- **संज्ञानात्मक अतिभार:** सूचनाओं की निरंतर बाढ़ नागरिकों के आलोचनात्मक चिंतन (System 2 Thinking — Kahneman, 2011) को कम कर देती है। परिणामस्वरूप, नागरिक स्वतंत्र तार्किक विश्लेषण के बजाय एल्गोरिथम 'संकेतों' पर निर्भर रहते हैं।

संवैधानिक और कानूनी ढाँचा: वैचारिक स्वतंत्रता का संरक्षण

अनुच्छेद 19(1)(क) और 'राय बनाने' का अधिकार

संविधान का अनुच्छेद 19(1)(क) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायशास्त्र के अनुसार, राय बनाने का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक पूर्व शर्त है। एस. रंगराजन बनाम पी. जगजीवन राम (1989) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 'विचारों के मुक्त प्रवाह के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं हो सकता।' डिजिटल वातावरण में, जब एल्गोरिदम चयनात्मक जानकारी प्रदान करते हैं, तो वे नागरिकों की राय बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं।

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) के ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए को असंवैधानिक घोषित करते हुए यह प्रतिपादित किया कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत संरक्षित मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने माना कि धारा 66ए की अस्पष्ट भाषा नागरिकों के स्वतंत्र अभिव्यक्ति अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव (chilling effect) डालती है और यह अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत स्वीकृत युक्तिसंगत प्रतिबंधों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती।[5]

के.एस. पुट्टास्वामी निर्णय और मानसिक निजता

वैचारिक स्वायत्तता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) का निर्णय है। इस नौ-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने निजता को एक मौलिक अधिकार घोषित करते हुए इसके तीन आयाम बताए: व्यक्तिगत निजता, सूचनात्मक निजता और निर्णायक स्वायत्तता (Decisional Autonomy)।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में लिखा: निजता व्यक्ति को स्वायत्त चुनाव करने की अनुमति देती है। यह मनुष्य के उस स्थान की रक्षा करती है जहाँ वह स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्तित्व और विचारों का निर्माण करता है। यह 'मानसिक अखंडता' (Mental Integrity) की अवधारणा को जन्म देता है (पैरा 168)।[6]

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023: एक आलोचनात्मक विश्लेषण

भारत सरकार द्वारा हाल ही में पारित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम, 2023 डेटा सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह अधिनियम नागरिक को 'डेटा प्रिंसिपल' (Data Principal) के रूप में मान्यता देता है और डेटा के उपयोग के लिए 'स्पष्ट सहमति' (Explicit Consent) को अनिवार्य बनाता है।[7]

हालाँकि, शोध के दृष्टिकोण से इसमें कुछ गंभीर अंतराल हैं:

- **सहमति का भ्रम (Illusion of Consent):** डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रायः 'डार्क पैटर्न्स' (Dark Patterns) का उपयोग करते हैं, जिनके कारण उपयोगकर्ता जटिल नियमों एवं शर्तों को समझे बिना ही सहमति प्रदान कर देते हैं। आलोचकों का मत है कि यह स्थिति वास्तविक स्वायत्त सहमति (Autonomous Consent) के बजाय 'प्रबंधित सहमति' (Managed Consent) को बढ़ावा देती है।[8]
- **राज्य को व्यापक छूट (State Exemptions):** अधिनियम की धारा 7 तथा संबंधित प्रावधान राज्य को कुछ परिस्थितियों में डेटा प्रसंस्करण हेतु व्यापक अधिकार प्रदान करते हैं। यह व्यवस्था नागरिकों की 'निगरानी-मुक्त स्वायत्तता' (Surveillance-Free Autonomy) पर प्रश्न खड़े करती है। यूरोपीय संघ के सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के अनुच्छेद 23 की तुलना में भारतीय व्यवस्था अधिक विस्तृत छूट प्रदान करती प्रतीत होती है।[9]

कोर्फ़ (2023) के अनुसार, निजता का उल्लंघन केवल डेटा के अनधिकृत प्रकटीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह "लोकतांत्रिक समाज में स्वतंत्र इच्छा (Free Will) के क्षरण" का कारण भी बन सकता है।[10] इसी प्रकार, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने 'मानसिक स्थान' (Mental Space), स्वायत्तता तथा मानसिक अखंडता (Mental Integrity) को निजता के मूल तत्वों के रूप में मान्यता प्रदान की।[11]

- **एल्गोरिथमिक उत्तरदायित्व का अभाव (Lack of Algorithmic Accountability):** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में एल्गोरिथम ऑडिट, स्वचालित निर्णय-प्रक्रिया (Automated Decision-Making) पर आपत्ति का अधिकार (Right to Object), तथा प्रोफाइलिंग के विरुद्ध विशेष सुरक्षा उपायों का अभाव है। यह स्थिति सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) के अनुच्छेद 22 की तुलना में एक महत्वपूर्ण कमी के रूप में देखी जाती है, जहाँ नागरिकों को पूर्णतः स्वचालित निर्णयों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है।[12]

तालिका 1: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम 2023 एवं यूरोपीय संघ सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (EU GDPR) का तुलनात्मक विश्लेषण

तुलना का आधार	यूरोपीय संघ सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन(EU GDPR) (2018)	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम (2023)
प्रवर्तन वर्ष	2018	2023
उद्देश्य	व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा तथा व्यक्तियों की निजता के अधिकार को सुदृढ़ करना	डिजिटल व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा तथा डेटा प्रसंस्करण को विनियमित करना
लागू क्षेत्र (Scope)	डिजिटल एवं संरचित भौतिक अभिलेखों में संग्रहीत व्यक्तिगत डेटा	केवल डिजिटल व्यक्तिगत डेटा एवं डिजिटीकृत डेटा
क्षेत्राधिकार	यूरोपीय संघ के नागरिकों का डेटा संसाधित करने वाले सभी संगठनों पर लागू	भारत में डेटा संसाधित करने वाले तथा भारत में वस्तु/सेवा प्रदान करने वाले संगठनों पर लागू
डेटा प्रसंस्करण का आधार	सहमति, अनुबंध, कानूनी दायित्व, सार्वजनिक हित, वैध हित आदि	सहमति (Consent) एवं अधिनियम में वर्णित वैध उपयोग (Legitimate Uses)
संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा	स्पष्ट रूप से परिभाषित एवं विशेष सुरक्षा प्रदान	पृथक श्रेणी निर्धारित नहीं
डेटा धारक के अधिकार	पहुँच, संशोधन, विलोपन, डेटा पोर्टेबिलिटी, प्रसंस्करण का विरोध, प्रतिबंध आदि	पहुँच, संशोधन, विलोपन, शिकायत निवारण एवं नामांकन का अधिकार
डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं
स्वचालित निर्णयों के विरुद्ध सुरक्षा	उपलब्ध	स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं
डेटा संरक्षण प्रभाव मूल्यांकन (DPIA)	उच्च जोखिम वाले मामलों में अनिवार्य	महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी (Significant Data Fiduciary) के लिए अनिवार्य
डेटा संरक्षण अधिकारी (DPO)	कुछ परिस्थितियों में अनिवार्य	महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी के लिए अनिवार्य
डेटा उल्लंघन की सूचना	72 घंटे के भीतर नियामक प्राधिकरण को सूचना देना आवश्यक	डेटा संरक्षण बोर्ड एवं प्रभावित व्यक्तियों को सूचना देना आवश्यक
सीमा-पार डेटा हस्तांतरण	कठोर विनियामक शर्तों के अधीन अनुमति	सरकार द्वारा प्रतिबंधित देशों को छोड़कर अनुमति
नियामक संस्था	यूरोपीय डेटा संरक्षण बोर्ड (EDPB) एवं राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण	डेटा संरक्षण बोर्ड ऑफ इंडिया
बालकों के डेटा का संरक्षण	सामान्यतः 16 वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावकीय सहमति आवश्यक	18 वर्ष से कम आयु के लिए अभिभावकीय सहमति आवश्यक
अधिकतम आर्थिक दण्ड	20 मिलियन यूरो अथवा वैश्विक वार्षिक कारोबार का 4 प्रतिशत	₹250 करोड़ तक
विशेष विशेषताएँ	डेटा पोर्टेबिलिटी, प्रसंस्करण का विरोध, स्वचालित निर्णयों के विरुद्ध सुरक्षा	नामांकन का अधिकार (Right to Nominate) एवं सहमति प्रबंधक (Consent Manager) व्यवस्था

स्रोत: कुमार, मनोज. (2025). जीडीपीआर बनाम डीपीडीपी अधिनियम: प्रमुख अंतरों का विश्लेषण; डीपीडीपी कंसल्टेंट्स.

केस स्टडी: कैम्ब्रिज एनालिटिका और वैचारिक हेरफेर

डिजिटल युग में इस स्वायत्तता पर सबसे गहरा प्रहार 'कैम्ब्रिज एनालिटिका' (CA) जैसे प्रकरणों के माध्यम से देखा गया है। Bakir (2020) के अनुसार, 'साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग' और डेटा-संचालित सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण (micro-targeting) व्यक्ति की तार्किक क्षमता को दरकिनार कर उसके अवचेतन व्यवहार को नियंत्रित करते हैं[13], जो पुट्टास्वामी के पैरा 157 में वर्णित 'स्वायत्त चुनाव' के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। भारत के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की जांच और केंद्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) की एफ.आई.आर (RC0052021S0001) यह पुष्टि करती है कि कैसे भारतीय नागरिकों के डेटा का व्यावसायिक उपयोग चुनावी विमर्श को प्रभावित करने के लिए किया गया। यह केस स्टडी प्रमाणित करती है कि जब सूचनात्मक निजता (Informational Privacy) का उल्लंघन होता है, तो वह अनिवार्य रूप से व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संप्रभुता को खतरे में डाल देता है।

चुनौतियाँ और खतरे

- **भ्रामक सूचना और सत्योत्तर युग:** डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौती सूचना की सत्यता सुनिश्चित करना है। मैकइंटायर (2018) के अनुसार, हम 'सत्योत्तर युग' में जी रहे हैं जहाँ तथ्यों की तुलना में भावनाएं और व्यक्तिगत विश्वास राय बनाने में अधिक प्रभावी होते हैं।[14]
- **निगरानी का चिलिंग इफेक्ट:** राज्य और कॉर्पोरेट संस्थानों द्वारा निरंतर डेटा संग्रह नागरिकों के भीतर एक अदृश्य भय पैदा करता है। फूकॉल्ट (1977) के 'पैनऑप्टिकॉन' सिद्धांत की तरह, यह निगरानी नागरिक के आत्म-सेंसरशिप को जन्म देती है।[15]
- **डार्क पैटर्न्स और व्यवहारिक हेरफेर:** डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्सर 'डार्क पैटर्न्स' का उपयोग करते हैं — ऐसी यूजर इंटरफेस डिजाइन जो जानबूझकर उपयोगकर्ताओं को ऐसे निर्णय लेने के लिए भ्रमित करती है जो उनके हित में नहीं होते।[16]

संज्ञानात्मक न्याय और समाधानपरक नीतियाँ

- **एल्गोरिथम जवाबदेही और ऑडिटिंग:** वर्तमान में एल्गोरिदम 'ब्लैक बॉक्स' की तरह कार्य करते हैं। भारत को 'एल्गोरिथम ऑडिट' की नीति अपनानी चाहिए, जहाँ स्वतंत्र संस्थाएं यह जाँच सकें कि कोई प्लेटफॉर्म राजनीतिक पक्षपात या मनोवैज्ञानिक हेरफेर कर रहा है।[17]
- **डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक चिंतन:** केवल तकनीकी कौशल प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। नागरिकों को 'एल्गोरिथम साक्षरता' की आवश्यकता है जिससे वे यह समझ सकें कि उन्हें दिखाई जाने वाली सूचनाएँ कैसे और क्यों चुनी गई हैं।[18]
- **संज्ञानात्मक अधिकार का कानूनी ढाँचा:** भविष्य के विधायी सुधारों में 'संज्ञानात्मक स्वतंत्रता' को एक नए मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। इस संदर्भ में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) अधिनियम में एक 'संज्ञानात्मक अधिकार' अध्याय जोड़ने का प्रस्ताव विधि आयोग के समक्ष रखा जाना उचित होगा।[19]

निष्कर्ष

डिजिटल युग में भारतीय नागरिकों की वैचारिक स्वायत्तता और आत्म-निर्णय का अधिकार केवल कानूनी बहस का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवंत लोकतंत्र के अस्तित्व का प्रश्न है। शोध के माध्यम से यह स्पष्ट है कि तकनीक जहाँ सूचना का सशक्त माध्यम बनी है, वहीं इसने 'सॉफ्टवेयर-आधारित हेरफेर' के माध्यम से नागरिक के स्वतंत्र विवेक को चुनौती भी दी है। भारत को अब 'डेटा संरक्षण' से आगे बढ़कर 'संज्ञानात्मक सुरक्षा' (Cognitive Security) की दिशा में सोचना होगा। अंततः, डिजिटल इंडिया की सफलता इस

बात में निहित नहीं है कि कितने लोग ऑनलाइन हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग ऑनलाइन रहते हुए भी स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच बनाए रखने में सक्षम हैं।

इस शोध की सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि 'सूचनात्मक निजता' (Data Privacy) अब 'संज्ञानात्मक स्वतंत्रता' (Cognitive Liberty) को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। शोध यह स्थापित करता है कि एल्गोरिथम न केवल हमारे डेटा को चुराते हैं, बल्कि वे हमारे 'विचार निर्माण की प्रक्रिया' में हस्तक्षेप करते हैं। यह शोध यह भी रेखांकित करता है कि डिजिटल इंडिया के तहत बढ़ती कनेक्टिविटी ने नागरिकों को तकनीकी ध्रुवीकरण (Polarization) के प्रति अधिक संवेदनशील बना दिया है।

पिछले शोधों के विपरीत, यह लेख केवल कानून या केवल तकनीक की बात नहीं करता। यह तकनीकी वास्तुकला (Coding) और संवैधानिक न्यायशास्त्र (Constitution) को एक साथ जोड़ता है। यह 'संज्ञानात्मक न्याय'(Cognitive Justice) व संज्ञानात्मक अधिकार (Cognitive Rights) नामक एक नया ढांचा प्रस्तावित करता है, जो भारतीय कानूनी साहित्य व नागरिक अधिकारों में एक नवीन योगदान है।

संदर्भ-सूची

यादव, डी. (2025). डिजिटल सिटिजनशिप एंड डेटा प्राइवेसी इन इंडिया: कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिसेज एंड इमर्जिंग चैलेंजेज. इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड लीगल रिसर्च, 7(6), पृ.3416-3420.

ज़ुबॉफ़, एस. (2019). द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म: द फाइट फॉर अ ह्यूमन फ्यूचर एट द न्यू फ्रंटियर ऑफ पावर. न्यू यॉर्क: पब्लिक अफेयर्स.पृ.8.

सनस्टीन, सी. आर. (2017). रिपब्लिक: डिवाइडेड डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ सोशल मीडिया. प्रिंसटन, न्यू जर्सी: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस.

पैरिसर, ई. (2011). द फ़िल्टर बबल: व्हाट द इंटरनेट इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू. न्यू यॉर्क: पेंगुइन प्रेस.

श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ. (2015). एआईआर 2015 एससी 1523 (भारत).

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ. (2017). 10 एससीसी 1 (सर्वोच्च न्यायालय).

भारत सरकार. (2023). डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023.नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार.

ब्रिग्नुल, हैरी. (2023). भ्रामक डिजिटल पैटर्न: तकनीकी कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए जिन युक्तियों का उपयोग करती हैं. कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स: एमआईटी प्रेस.

यूरोपीय संघ. (2016). सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR). विनियमन (EU) 2016/679. ब्रुसेल्स: यूरोपीय संघ. अनुच्छेद 23

कोर्फ, डी. (2023). द इंडियन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023, व्यूड फ्रॉम अ यूरोपियन पर्सपेक्टिव. एसएसआरएन इलेक्ट्रॉनिक जर्नल.

जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ. (2017). 10 एससीसी 1 (सर्वोच्च न्यायालय).

यूरोपीय संघ. (2016). सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR). विनियमन (EU) 2016/679. ब्रुसेल्स: यूरोपीय संघ. अनुच्छेद 22

बाकिर, वी. (2020). साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस इन डिजिटल पॉलिटिकल कैंपेन्स. फ्रंटियर्स इन कम्युनिकेशन, 5, आर्टिकल 67.

मैकिन्टायर, एल. (2018). पोस्ट-ट्रुथ. कैम्ब्रिज, एमए: एमआईटी प्रेस,पृ.11-13.

फौकॉल्ट, एम. (1977). डिसीप्लिन एंड पनिशमेंट: द बर्थ ऑफ द प्रिज़न. न्यू यॉर्क: पैंथियन बुक्स.पृ.195-228.

ब्रिग्नुल, हैरी. (2023). भ्रामक डिजिटल पैटर्न: तकनीकी कंपनियाँ उपयोगकर्ताओं को नियंत्रित करने के लिए जिन

युक्तियों का उपयोग करती हैं. कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्सः एमआईटी प्रेस.पृ.1-25.

पास्क्वाले, फ्रैंक. (2015). द ब्लैक बॉक्स सोसाइटीः द सीक्रेट एल्गोरिथम्स दैट कंट्रोल मनी एंड इन्फॉर्मेशन। कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्सः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस..पृ.3-18

नोबल, सफ़िया उमोजा. (2018). एल्गोरिथम्स ऑफ ओप्रेशनः हाउ सर्च इंजिन्स रिइनफोर्स रेसिज्म. न्यूयॉर्कः न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस.पृ.1-15

फराहनी, नीता ए. (2023). द बैटल फॉर योर ब्रेनः डिफेंडिंग द राइट टू थिंक फ्रीली इन द एज ऑफ न्यूरोटेक्नोलॉजी. न्यूयॉर्कः सेंट मार्टिन्स प्रेस.पृ.11-34